आदेश कमांक / तिथि Order ../Date	आदेश एव पदाकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कारवाई तिथि सहित Action taken on order with date

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी ।

विविध अपील वाद संख्या – 14 R 15/2015

अल्वीना खाखा – अपीलकर्त्ता

बनाम्

राज्य सरकार – विपक्षी

आदेश

22/8/16
19/9/16

प्रस्तुत अपील अल्वीना खाखा पत्नी रणजी सिंह साकिन मार्टिन बंगला, खूंटी के किरासन तेल हॉकर खूंटी प्रखंड ने अनुमंडल पदाधिकारी खूंटी के पत्रांक 552/आ0 दिनांक 10.06.2015 के द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या KH07/91 को रद्द करने के विरूद्ध दायर किया गया है। उक्त वाद को अग्रेतर सुनवाई हेतु दाखिल किया गया तथा निम्न न्यायालय की मांग की गई। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

अपीलकर्त्ता एवं सरकारी अधिवक्ता द्वारा विस्तार पूर्वक बहस किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि प्रस्तुत अपील अनुमंडल पदाधिकारी, खूंटी के पत्रांक 552/आ0 दिनांक 10.06.2015 के द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या KH07/91 को रद्द करने के विरूद्ध दायर किया गया है। उक्त अनुज्ञप्ति सन 1991 से बिना किसी शिकायत के चल रहा है। उक्त अपील निम्न न्यायालय के पारित आदेश के 30 दिनों के अन्दर दाखिल किया गया है, जो समय सीमा के अन्दर है। उक्त अनुज्ञप्ति खूंटी प्रखंड परिसर सदर अस्पताल एवं खूंटी उपकारा परिसर में वितरण हेतु निर्गत है। अनुमंडल पदाधिकारी, खूंटी के पत्रांक 214/आ0 दिनांक 18.12.2014 के द्वारा निलंबित किया गया था, जिसका कारण पृच्छा आवेदिका द्वारा निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, खूंटी द्वारा बिना किसी जाँच के अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है जो खारिज करने योग्य है। अपीलकर्त्ता को जनवरी 2014 को सिर्फ 66 लीटर किरासन तेल सदर अस्पताल के लिए आवंटित था जो वितरण किया गया, जिसपर बड़ा बाबू का हस्ताक्षर किया गया है। उसके बाद सदर अस्पताल एवं खूंटी उपकारा के लिए कोई आवंटन निर्गत नहीं किया गया। प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक के मौखिक निदेश के आलोक में प्रखंड के कर्मियों के लिए बांटा जाता था। अपीलकर्त्ता द्वारा अनुज्ञप्ति

एकीकरण के नियमों को अनदेखा नहीं किया गया तथा नियम का पालन किया गया। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज कर अनुज्ञप्ति संख्या KH07/91 को रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

इसके विपरीत सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 16.12.2014 को खूंटी प्रखंड परिसर के कलस्टर प्वाईंट में वितरित किरासन तेल का जांच के क्रम में तथ्य प्रकाश में आया कि उपकारा खूंटी के लिए 60 लीटर एवं सदर आस्पताल खूंटी के लिए 22 लीटर किरासत तेल देने हेतु प्रतिमाह 82 लीटर किरासन तेल अतिरिक्त आवंटित किया जाता है। माह नवम्बर 14 के विरूद्ध 82 लीटर किरासन तेल आपूर्ति किया गया परन्तु वितरण नहीं किया गया। माह सितम्बर 14 में दिनांक 18.09.2014 को 63 लाभुकों के बीच 384 लीटर किरासन तेल वितरण पाया गया। माह अक्टूबर 14 को वितरण नहीं पाया गया। माह नवम्बर 14 के विरूद्ध दिनांक 20.11.2014 को कुल 466 लीटर पंजी पर दर्शाया गया है। वितरण पंजी पर यह अंकित है कि एक ही व्यक्ति को 20 लीटर, 15 लीटर, 10 लीटर किरासन तेल वितरण किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है। वितरण पंजी के अंतिम पन्ने का अवलोकन से लगभग 20 व्यक्तियों का नाम एवं हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया है। जो संदेहास्पद है। सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अपीकर्त्ता द्वारा जानबूझ कर गलत तरीके से किरासन तेल का वितरण किया जाता रहा है। अतः अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बहाल रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल अपील आवेदन निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन एवं उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया बहस सुनने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा अनुज्ञप्ति एकीकरण में दिये गये शर्त्तों के **कंडिका 5** (i) (ऐसा कोई संव्यवहार नहीं करेगा, जिसमें व्यापरिक वस्तुओं के सट्टे की नीति से जो बाजार में उनका प्रदाय बनाये रखने पर तथा आसानी से उनकी उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो क्रय, विक्रय या विक्रयार्थ भण्डारण उन्तवंलित हो), **कंडिका 8** (अनुज्ञप्तिधारी कारबार से संबंधित ऐसी सूचना जिसकी उसकी मांग की जाय सही–सही प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो समय–समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा) एवं **कंडिका 10** (अनुज्ञप्तिधारी ऐसी किसी निर्देश का पालन करेगा जो उसे इन वस्तुओं का क्रय, विक्रय तथा विक्रयार्थ भण्डारण के संबंध में और उस भाषा के संबंध में जिसमें रजिस्टर, विवरणीय रसीदें, या बीजक लिखे जायेंगे तथा उपर पारा 3 में वर्णित रजिस्टर के अंतिम स्टॉक तथा उसे रखने के संबंध में राज्य सरकार या कलक्टर या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिया जाय) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो कालाबाजारी एवं

अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है।

अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, खूंटी द्वारा दिनांक 10.06.2015 के पारित आदेश को बहाल **(Upheld)** रखा जाता है। अपीलकर्त्ता एवं निम्न न्यायालय को सूचित करें।

विधि–व्यवस्था एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश पारित करने में विलम्ब हुआ।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
खूँटी।

19/9/XVI

उपायुक्त,
खूँटी।

LCR sent to Lower court vide memo No 404/[illegible] dated on 29.11.16